



सेवा में

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

महोदय

कृपया अपने आर.टी.आई. अनुरोध पंजीकरण सं. NIAHB/R/E/21/00013 दिनांक 24.06.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उपरोक्त के विषय में बताना है कि चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान की स्थापना पशुओं के टीकों के लाईसेंस की अनुगृह, गुणवत्ता सुनिश्चित करना तथा मानक उपलब्ध कराना है। वांछित सूचनायें संस्थान के अधिदिष्ट गतिविधियों से सम्बंधित नहीं हैं। अतः वांछित सूचनाओं का उत्तर शून्य माना जाये।

क० सं०	प्रश्न	उत्तर
1.	कृपया सूचित करें की गली मोहल्ले में घूमने वाले आवारा पशु यदि किसी बच्चे या बुजुर्ग को नुकसान पहुँचाते हैं तो इस विषय में किस अधिकारी की जवाबदेही होगी कृपया पलवल जिले हरियाणा के संपर्क सूत्र के बारे में सूचित करें	शून्य वांछित सूचना संस्थान की अधिदिष्ट गतिविधियों से सम्बंधित नहीं है।
2.	गली मोहल्ले में घूमने वाले पशु या पक्षी या कोई अन्य जानवर यदि घायल हो जाता है या बीमार हो जाता है तो इस संबंध में जिले के किस अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है कृपया पलवल जिले हरियाणा के संपर्क सूत्र के बारे में सूचित करें	शून्य वांछित सूचना संस्थान की अधिदिष्ट गतिविधियों से सम्बंधित नहीं है।
3.	कृपया सूचित करें कि यदि किसी पशु पक्षी या जानवर की मृत्यु हो जाती है तो उसे उठवाने के लिए जिले के किस अधिकारी से संपर्क किया जाए कृपया पलवल जिले हरियाणा के संपर्क सूत्र के बारे में सूचित करें	शून्य वांछित सूचना संस्थान की अधिदिष्ट गतिविधियों से सम्बंधित नहीं है।
4.	आवारा पशुओं को पकड़वाने के लिए किस अधिकारी से संपर्क किया जाए, कृपया पलवल जिले, हरियाणा के संपर्क सूत्र के बारे में सूचित करें।	शून्य वांछित सूचना संस्थान की अधिदिष्ट गतिविधियों से सम्बंधित नहीं है।

यदि आप इस उत्तर से संतुष्ट नहीं है तो पत्र की प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर विभागीय अपीलीय अधिकारी जिनका पता निम्न प्रकार है। को अपील दायर कर सकते हैं।

विभागीय अपीलीय अधिकारी का पता—
डा० प्रवीण मलिक/निदेशक
चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्यसंस्थान
बागपत, -250609 (उ० प्र०)
ईमेल—ccs.niah@gov.in

भवदीय

(संदीप कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक/केन्द्रीय जसूचना अधिकारी
26.06.21